फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

गेनाराम
बनाम
गंगाराम वगै.

किस्म मुकदमा 223 आर.टी एक्ट न. 161 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.2022	पत्रावलीयां बाद जांच पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री कैलाश एन सारण एवं केवियटर अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2016 बअनवान गंगाराम वगैरा बनाम वगताराम वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2020 के विरूद्ध पेश हुई। एडमिशन के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए अपीले दर्ज रजिस्टर हो। अपील के एडमिशन स्टेज पर अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 09 अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुऐ दिनांक 31.08.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित की गई। हाजा न्यायालय के समक्ष अन्य पक्षकारों द्वारा कोई अपील पेश की गई तो उससे अपीलांटस अपील करने से बाधित नहीं है। अतः हस्तगत अपील में सारभूत कानूनी बिंदु नियत होने से एडमिशन करते हुए स्थगन आदेश पारित किया जावे। केवियटर/रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस द्वारा पेश की गई अपील न्यायालय में चलने योग्य नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध उतरदाता संख्या 04 से 10 व 18 द्वारा माननीय न्यायालय में अपील की जा चुकी हैं जो अपील अंतिम रूप से दिनांक 15.12.2022 को निर्णित की जा चुकी है जिसके विरूद्ध अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन हैं जिसकी पेशी तारीख 26.12.2022 को रखी गई है जिसमें भी कैवियट दायर की गई हैं। उतरदाता संख्या 04 से 10 व 18 माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त नहीं कर सके ओर उनके द्वारा प्रस्तुत की गई अपील माननीय न्यायालय द्वारा खारीज करने पर उनके द्वारा कहने पर ही अपीलांटस गेनाराम अकेले ने हस्तगत अपील पेश की हैं जबकि तुलसाराम के करीबन 07 वारिस हैं जिसमें से उतरदाता संख्या 11 से 16 ने माननीय न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की हैं जो अपीलांट गेनाराम के सगे भाई व माता है जिन्हें बंटवाड़ा होने व माननीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने के संबंध में आज दिन तक कोई ऐतराज नहीं है। मातहत अदालत एवं माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटस की अपील एडिमिशन किये जाने योग्य भी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलांटस द्वारा प्राथिमक डिक्री दिनांक 31.08.2020 के विरूद्ध पेश अपील में हिस्सों को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री उभयपक्ष की सहमति से जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री बाद विस्तृत विवेचन पारित किया गया। अपीलांटस द्वारा पेश की गई अपील में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की फॉटों प्रतियां पेश की गई उसमें ऐसी फॉटोप्रति पेश की गई जो अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई, इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2020 जारी होने की दिनांक से ही जानकारी थी। हस्तगत वाद में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण ने अपील संख्या 78/2022 पेश की गई जो बाद सुनवाई दिनांक 15.12.2022 को खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध पेश अपील संख्या 78/2022 में अपीलांटस के नाम रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाया गया उसके बावजूद न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 78/2022 जो अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई का निस्तारण हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2022 को करने के पश्चात अपीलांटस द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.08.2020 के विरूद्ध अपील पेश की गई जो दुरभीसिंधी का कारण इंगित करता है। पूर्व में प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश नहीं की गई। हाजा न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री के विरूद्ध पेश अपील का अंतिम निस्तारण कर दिया है इसलिए अब प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध पेश अपील का कोई औचित्य नहीं है। अपीलांटस द्वारा न्यायालय का समय जाया करने की नियत से अपील पेश की गई। हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निस्तारण कर दिया गया, इसलिए अपीलांटस संतुष्ट नहीं है तो सक्षम स्तर पर चाराजोही करे। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटस की अपीले एडमिशन स्टेज पर ही सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपीलांटस की अपील को एडमिशन स्टेज पर सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर